प्रतियोगिता

शासकीय मानकुँवर बाई महिला महाविद्यालय में 'उमंग-2026' की खेल प्रतियोगिताएं

पिट्ठू और क्रिकेट में छात्राओं से लेकर प्राध्यापकों में दिखा उत्साह

नवभारत,जबलपुर। वार्षिक स्नेह सम्मेलन 'उमंग-2026' के अंतर्गत 17 फरवरी को महाविद्यालय परिसर में पिट्ठू और क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. स्मृति शुक्ला के निर्देशन एवं स्नेह सम्मेलन प्रभारी डॉ. कामना श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। छात्राओं की पिट्ठू प्रतियोगिता में रक्षा टीम विजेता एवं श्रद्धा टीम उपविजेता रही। महिला प्राध्यापकों की प्रतियोगिता में अहिल्याबाई टीम विजेता तथा तेजस्विनी टीम उपविजेता बनी। पुरुष प्राध्यापकों के मध्य क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर बचपन की यादें ताजा कीं।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में डॉ. मनोज प्रियदर्शन, सेवानिवृत्त खेल अधिकारी डॉ. ज्योति जाट, डॉ. मुदिता श्रीवास्तव, डॉ. अर्चना देवलिया, डॉ. सपना चौहान, डॉ. आर.एन. श्रीवास्तव, डॉ. दीपक श्रीवास्तव सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। कमेंट्री डॉ. संध्या पचौरी एवं सहयोगियों द्वारा की गई।

आज होंगी फाइनल स्पर्धाएं

आज 18 फरवरी को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। साथ ही कंचा-चम्मच दौड़, स्लो साइकिल रेस और थ्री स्टेप दौड़ की फाइनल स्पर्धाएं होंगी। एनएसएस की उत्कृष्ट छात्राओं एवं एनसीसी कैडेट्स को भी सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय मास्टर्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण व रजत पदकों की झड़ी

▸ रादुविवि कर्मियों का राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स में दमदार प्रदर्शन

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मियों ने 13 से 15 फरवरी 2026 तक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान, जबलपुर में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता में देशभर से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय के डॉ. संतोष सिंह ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक एवं डिस्कस थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया। मनोज कुमार सिंह ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, जबकि सुखदीन कटारे ने 1500 मीटर एवं 800 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा एवं कुलसचिव प्रो. सुरेन्द्र सिंह ने कुलगुरु कक्ष में विजेताओं का सम्मान किया। प्रो. वर्मा ने कहा कि कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास ही सफलता का आधार होता है।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर कर्मचारी संघ अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह पटेल, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार तिवारी, डॉ. अजय मिश्रा, प्रवीण जायसवाल, राम सिंह ठाकुर, प्रेमशंकर पाण्डेय, दीपक नाहिर, संतोष पाण्डेय, लालजी उसरेठे, अनिल शुक्ला एवं राकेश श्रीवास्तव सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

जबलपुर ने डिंडोरी को 9 विकेट से रौंदा, फाइनल में बनाई जगह

▸ अमनप्रीत की नाबाद 74 रनों की धमाकेदार पारी, कमल की कप्तानी पारी से एकतरफा जीत

नवभारत, जबलपुर। अंतर जिला सीनियर बालक वर्ग 'टी-20' क्रिकेट प्रतियोगिता (2025-26) के पहले सेमीफाइनल में जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित मुकाबले में जबलपुर जिले ने डिंडोरी को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला जबलपुर के लिए सही साबित हुआ। डिंडोरी ने निर्धारित 20 ओवरों में 149 रन बनाए। डिंडोरी की ओर से भूपेंद्र पटटा (36), नवांकुर जा (27), अर्थव यादव (19) और विवेक मार्को (18) ने योगदान दिया। जबलपुर के गेंदबाजों में कमल त्रिपाठी और अजय मिश्रा ने 2-2 विकेट, जबकि रितेश शाक्य, आदित्य मिश्रा और पारूष मंडल ने 1-1 विकेट लिया।

ये रहे उपस्थित

मैच में अंपायर अमित यादव व प्रतीक खरे, स्कोरर सचिन साहू तथा ऑब्जर्वर शांतनू त्रिपाठी (एमपीसीए) रहे। इस अवसर पर जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ के सदस्य धर्मेश भाई पटेल, सीनियर टीम चयनकर्ता प्रशांत द्विवेदी, गोपाल दत्त जोशी एवं कोच असद खान उपस्थित रहे।

आज सुबह 10 बजे से मैच

प्रतियोगिता के अगले मुकाबले आज खेले जाएंगे, जिसमें पूल 'बी' से पांढुरना बनाम नरसिंहपुर तथा कटनी बनाम छिंदवाड़ा के बीच सुबह 10 बजे से मैच प्रारंभ होंगे।

डिंडोरी के मनोज सिंह ने लिया एकमात्र विकेट

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जबलपुर ने मात्र एक विकेट खोकर 150 रन बनाते हुए 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज अमनप्रीत सिंह (नाबाद 74) और अम्बर शर्मा (24) ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की। इसके बाद अमनप्रीत ने कप्तान कमल त्रिपाठी (नाबाद 44) के साथ 53 रन जोड़कर टीम को जीत दिलाई। डिंडोरी की ओर से मनोज सिंह ने एकमात्र विकेट लिया।

132 केवी सब स्टेशन से तांबे के केबल ले गए चोर

नवभारत, जबलपुर। थाना रांझी क्षेत्र के अंतर्गत व्हीएफजे स्थित 132 केवी सब स्टेशन से चोर तांबे के केबल चुराकर ले गए । पुलिस के मुताबिक मदन सिंह लड़िया (58) निवासी साई मिलन कॉलोनी रामपुर ने पुलिस को बताया कि वह व्हीएफजे एमपी पावर कंपनी में टेस्टिंग सुपरवाइजर हैं। जब सब स्टेशन के सीसीटीव्ही कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, तो चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीव्ही चोर सब स्टेशन की बाउंड्री वॉल के अंदर रखी 19 बोर कंट्रोल केबल के तांबे के तार चोरी किए हैं। गायब हुए केबल की लंबाई लगभग 60 मीटर है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 22 हजार रुपये बताई जा रही है।

महिला आरक्षक ने नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में जीते 3 गोल्ड

▸ एसपी ने दी बधाई

नवभारत, जबलपुर। संस्कारधानी के इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 45वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 में जबलपुर पुलिस की महिला आरक्षक रंजना शर्मा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार सफलता हासिल की है। रंजना शर्मा ने प्रतियोगिता के विभिन्न इवेंट्स में कुल चार पदक जीतकर न केवल पुलिस विभाग, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। 13 से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित इस राष्ट्रीय स्पर्धा में रंजना शर्मा ने चार अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेते हुये हैमर थ्रो, जैबलिन थ्रो एवं शॉटपुट थ्रों में गोल्ड मैडिल, डिस्कस थ्रो में सिलवर मैडिल जीत कर सफलता प्राप्त की। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने रंजना शर्मा को कार्यालय बुलाकर विशेष रूप से बधाई दी। एसपी उपाध्याय ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि आपने कड़ी मेहनत से न केवल जबलपुर पुलिस, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस का नाम देश स्तर पर रोशन किया है। हमें उम्मीद है कि वे भविष्य में भी इसी तरह सफलता के झंडे गाड़ती रहेंगी। एसपी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत बताया। रंजना की इस सफलता से पुलिस विभाग और खेल प्रेमियों में हर्ष की लहर है।

पदोन्नति में आरक्षण मामले में उभय पक्षों की बहस पूरी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण दिया गया कि हर विभाग में प्रमोशन के लिए कमेटी बनेगी। सरकार का कहना है कि कमेटी सुनिश्चित करेगी आरक्षण नियमों का पालन हो। सरकार ने यह भी कहा कि जो पूर्व में आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग में पदोन्नति प्राप्त किए हैं, उनकी गणना उनके वर्ग में ही की जाएगी। एससी व एसटी का अर्थात 16 एवं 20 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है।

इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिये। मामले में उभयपक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

कब्जा सूचना

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, गारंटर, बंधकदारों को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-सितंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिया है, जो कि आर्सिल ट्रस्ट (2026-010) के ट्रस्टी के रूप में सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए कार्य कर रही है. अतः उक्त आवंटन के मद्देनजर, आरसिल अब आईआईएफएल-एचएफएल के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और आरसिल उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है. ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, आरसीआईएल के अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित वर्णित अचल संपत्ति पर निम्नलिखित तिथि से 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर कब्जा कर लिया है.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री अशोक कोल श्रीमती राज बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10860538)	195, 195, 05, सिलाउदी करकेली, शंकर मंदिर, उमरिया, मध्यप्रदेश, भारत-484661, एरिया एडमेजरिंग (वर्गफीट में) प्रॉपर्टी टाइप: भूमि_क्षेत्र, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, प्रॉपर्टी एरिया: 2991.00, 858.00	रु. 475991/- (रु. चार लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)	8-10-2025	13-2-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्सिल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा/हस्तांतरित नहीं करेगा. अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्सिल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उपधारा के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

स्थान: जबलपुर
दिनांक: 18-2-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300. वेबसाइट- www.arcil.co.in

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट'' कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, से लोन लिया था और जबकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से संबंधित फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं और जबकि ARCIL SARFAESI एक्ट के तहत सुरक्षित लेनदार है, और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।
लेकिन कुछ लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस नहीं दिए जा सके। ट्रस्ट का नाम Arcil Trust 2026 015

देनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
श्री तीर्थ विश्वकर्मा श्रीमती उर्मला विश्वकर्मा विश्वकर्मा इलेक्ट्रिकल्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10674880)	05-जनवरी-2026, रु. 1788448.02 (रुपये सत्रह लाख अठासी हजार चार सौ अड़तालीस और पैसा दो मात्र)	संपत्ति का वह भाग- खसरा नं. 78/3/1, मौजा पटलॉन, एन.बी. 248, पी.एच.एन. 93/18/1, गदरवारा, वी.के. सैखेड़ा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश 487551 से संबंधित भूमि का भूखंड वर्ग फुट क्षेत्रफल- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र- संपत्ति का क्षेत्रफल- 1200.00, 2400.00

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: जबलपुर
दिनांक: 18-2-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300. वेबसाइट- www.arcil.co.in

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग
निविदा सूचना संख्या वरि. भंडार आपूर्ति हेतु ई मं.सा.प्र./ईपीएस/02/2026

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिये निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। इसमें हस्तालिखित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्ण विविरण विनिर्देशन के लिए https://iresp.gov.in पर ई निविदा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **Tender No.:** 94255657B, **Short Description:** Design, Supply, Supervision of erection, testing and commissioning of Transformer rating 3.15 MVA, Copper wound, 33/11 KV, vector group Dyn-11, Type of cooling-ONAN, frequency-50 HZ, including Transformer Oil, As per IS 2026 (Part 1) 2011 (with latest amendment)., **Tendered Qty.:** 01 No., **Opening date:** 03/03/2026.

हस्ता.
वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

न्यायालय तहसीलदार राँझी, जबलपुर

रा.प्र.क्रं./1462/अ-6/2025-26

// इश्तहार //

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा पाल सिंह सोमवंशी पिता स्व. जय नारायण सिंह सोमवंशी निवासी ई-19 यशवर नगर वुडन गार्डन के सामने, कचनारी, जबलपुर ने नजूल ब्लाक नं. 82 प्लाट नं. 181,181/1 रकवा 230 व.फु/ हे.ग्राम भरतीपुर प.न.ह..... खसरा नं.... रकवा 230 व.फु/ हे. पर विक्रय पत्र/ हक त्याग/ वसीयतनामा/ दानपत्र/ वारसान हक/ दिनांक... मृत्यु दिनांक 31/10/2019 को हो जाने के कारण वारसान हक/ क्रय उपरांत नाम दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र... खसरा की छाया प्रति प्रस्तुत किया है।प्रकरण में आवेदक द्वारा संलग्न नजूल संधारण खसरा/ पटवारी/ डायवर्सन खसरा अनुसार नजुल... ब्लाक नं. 82 प्लाट नं. 181, 181/1 रकवा 230 व.फु/हे. ग्राम भरतीपुर प.ह.न.... खसरा नं... रकवा 230 व.फु/हे. पर ... के नाम दर्ज है अतः किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 03/03/2026 को इस न्यायालय तहसील रांझी जबलपुर में प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर कोई सुनवाई नही की जावेगी। इश्तहार आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। (मुद्रा)

जारी दिनांक -12/02/2026
पेशी दिनांक -03/03/2026

तहसीलदार
रांझी जबलपुर

IN THE COURT OF VI ADDITIONAL DISTRICT AND SESSION JUDGE, DISTRICT COURT, JABALPUR

Presiding Officer - विपिन सिंह भदौरिया
(आदेश 5नियम 20व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC GW/0000010/2026) Process Id- 103/2026
पेशी दिनांक- 06/04/2026 **//नोटिस//**

जन्नतुन खातून ..... **वादी विरूद्ध** आम जनता ...... **प्रतिवादी**। प्रेषिती- 1. आम जनता पता- जबलपुर म.प्र.। यह कि प्रार्थी जन्नतुन खातून ने आपके विरूद्ध एम जे सी जे डब्ल्यू आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 सहपठित धारा 31 अभिभावक संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 वास्ते अवयस्क नाबालिग पुत्रों के अंश की संपत्ति भूखण्ड को विक्रय की अनुमति प्रदान करने हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नही होगें तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 12 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं। (मोहर) **(विपिन सिंह भदौरिया)**
जिला न्यायाधीश (षष्टम) जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Tender ID_ 2026_UAD_480867_1 PRO- 868 Date-17/02/2026	नगर निगम जबलपुर के महाराणा प्रताप वार्ड में धनवंतरी नगर सेक्टर ए पार्वती कोष्टा के सामने 100 मीटर और डॉ. जैन के सामने से डीएसपी जवाहर के सामने 100 मीटर एवं राकेश विश्वकर्मा से चतुर्वेदी जी के घर तक 100 मीटर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	₹.17.83 लाख 03 माह	₹.2000/- ₹. 13400/-	06/03/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान को मिला सम्मान

▸ लाख प्रसंस्करण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए नवाजा गया

नवभारत,जबलपुर। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में दिनांक 11 से 16 फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा आयोजित 'प्रथम महाकाल वन मेला' में, राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई), जबलपुर को उसके उत्कृष्ट 'लाख प्रसंस्करण' कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस भव्य मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया, जिसमें उज्जैन जिले के सम्मानीय विधायकगण एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से लाख आधारित कृषकों तथा शिल्पकारों को निरंतर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में बरघाट क्षेत्र की दो महिला शिल्पकारों ने लाख के आभूषण बनाने का लाइव प्रदर्शन कर सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, साथ ही उन्नत तकनीक से निर्मित लाख प्रसंस्करण यूनिट का डेमोंस्ट्रेशन मॉडल भी लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा। इस प्रदर्शन स्टाल का सफल संचालन संस्थान के संचालक प्रदीप वासुदेवा के कुशल मार्गदर्शन में संस्थान के वैज्ञानिक एवं आईसीएआर-एनआईएसए द्वारा वित्त पोषित लाख परियोजना के मुख अन्वेषक डॉ. अनिरुद्ध मजूमदार ,परियोजना के शोधकर्ता बलराम लोधी, भारत आर्मो तथा बरघाट की लाख शिल्पकार राजेश्वरी चौहान एवं तुमेश्वरी गौतम की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत(लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	PRO- 864 Date-17/02/2026 2026_UAD_482984_1	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड में विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण कार्य।	03 माह ₹.25.41/- लाख	₹.5000/- ₹. 19057/-	04/03/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Pro- 872 Date-18/02/2026 2026_UAD_482001_1	पं. मदन मोहन मालवीय वार्ड स्थित पप्पू सोनकर के घर से अमरनाथ सोनकर के घर तक नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	03 माह ₹.5.01 लाख	₹.2,000/- ₹. 5018/-	05/03/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
कार्यपालन यंत्री(लोककर्म विभाग) नगर निगम जबलपुर

न्यायालय तहसीलदार, निवास, जिला-मण्डला

उद्घोषणा

ग्राम-चौदस रैयत, प.ह.न.- 45
रा,नि.म.-निवास, तहसील-निवास

एतद दवारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम चौदस रैयत को सूचित किया जाता है कि ग्राम चौदस रैयत प.ह.नं. 45 राजस्व निरीक्षक मण्डल निवास स्थित भूमि ख.न. 392, 405, 403, 402, 396, 225, 339, 319, 315 रकबा 2.23, 0.66, 1.29, 0.36, 3.25, 0.15, 3.59, 0.69, 1.94, 2.32 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन को Narmada Valley Development Authority संस्था का प्रकार अन्य संस्था का पता Narmada Vikas Sambhag No.2 infront of State Bank (Main branch) Civil Line, Mandla द्वारा नगरेत्तर तहसील व जिला मण्डला हेतु उपरोक्त भूमि बसानिया बाँध परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चाही गई है। उपरोक्त भूमि मान्य कर प्रस्तावित की गई है। उक्त भूमि नजूल निवर्तन निर्देश नियम 2020 के तहत आवंटित/हस्तांतरित किया ज्ञाना प्रस्तावित किया गया है। संबंधित विभाग के प्रयोजन हेतु आवंटन किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय मण्डला द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया है। अतः उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति पेश करना है तो वह स्वयं या किसी अधिकता के माध्यम से पेश कर सकता है, समयावधि पश्चात कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनाक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

जारी दिनांक : 06/02/2026
पेशी तारीख : 21/02/2026
जी-25930/25

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

तहसीलदार
निवास, जिला-मण्डला